

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 704/2021 नवीन कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय गणित में चयनोपरान्त विभाग द्वारा याचिकार्थी को जोधपुर मण्डल आवंटित कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बडनावा जागीर पाटोदी, बाड़मेर में पदस्थापित किया गया। याचिकार्थी के कथनानुसार घरेलू परिस्थितियों के कारण उसने अभी तक कार्यग्रहण नहीं किया है तथा सर्वाइकल से पीड़ित उसके पिताजी का सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में इलाज चल रहा है व चिकित्सक द्वारा उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी गई है एवं उनका इकलौता पुत्र होने के कारण वह इतनी दूर कार्यग्रहण करने में असमर्थ है तथा चूरु जिले में वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक-गणित के 183 पद रिक्त है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर जोधपुर मण्डल के स्थान पर चूरु मण्डल आवंटित कर चूरु जिले के अभ्यावेदन में अंकित रिक्त पदों में से किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापित करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश दिनांक 02.07.2020 के अनुसार "सम्भागवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी उस सम्भाग को आवंटित किए जावें। वरिष्ठ अध्यापक की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना सम्भागवार ही की जाती है अतः सम्भाग में वर्गवार (अनारक्षित श्रेणी/आरक्षित श्रेणियां यथा महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी/सहरिया/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप अभ्यर्थी के चयन वर्गवार, स्वयं के वर्ग, मेरिट के आधार पर तथा अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प पत्र में अंकित सम्भाग की प्राथमिकता के अनुसार सम्भाग आवंटन किया जावें," के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुसार ही सम्भाग आवंटन किया गया है।

वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय गणित में याचिकार्थी का आयोग द्वारा वरीयता क्रमांक 311 वर्ग OBCM एवं चयन वर्ग GENM पर चयन किया जाना पाया गया। विभागीय नियमानुसार याचिकार्थी को उसके वर्ग एवं चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर उसके द्वारा दी गई संभाग की प्राथमिकता के अनुसार चौथी प्राथमिकता पर अंकित जोधपुर मण्डल आवंटित किया गया। याचिकार्थी के विकल्प पत्र में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्राथमिकता पर क्रमशः अंकित बीकानेर, जयपुर एवं अजमेर मण्डलों में याचिकार्थी के वर्ग OBCM एवं चयन वर्ग GENM में अन्तिम आवंटित अभ्यर्थी का वरीयता क्रमांक क्रमशः 233, 50 एवं 184 रहा है, जबकि याचिकार्थी का वरीयता क्रमांक 311 है। अतः वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय गणित में याचिकार्थी के वर्ग OBCM एवं चयन वर्ग GENM में याचिकार्थी से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को याचिकार्थी के विकल्प पत्र में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्राथमिकता पर क्रमशः अंकित बीकानेर, जयपुर एवं अजमेर मण्डल नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया है। याचिकार्थी के अभ्यावेदन में अंकित चूरु मण्डल की रिक्तियों के विरुद्ध पद विज्ञापित नहीं होने के कारण किसी भी अभ्यर्थी को चूरु मण्डल नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया।

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का है, जिसका नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) है। अतः संयुक्त निदेशक (समस्त सम्भाग) रोस्टर के आधार पर वर्गवार आरक्षण के अनुसार अर्थना तैयार कर विभाग को प्रेषित करता है। विभाग सभी मण्डलों से वर्गवार प्राप्त अर्थना को संकलित कर वर्गवार योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्थना आयोग को प्रेषित करता है। आयोग परीक्षा का आयोजन कर अर्थना में प्रदर्शित वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन कर चयन वर्गवार अभिस्तावना विभाग को नियुक्ति हेतु प्रेषित करता है। आयोग से चयन वर्गवार अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार विभाग द्वारा मण्डल आवंटन की कार्यवाही आयोग को प्रेषित मण्डलवार वर्गवार अर्थना की सीमा तक की जाती है। जिस मण्डल में वर्गवार जितने पद विज्ञापित किये जाते हैं, उतने ही अभ्यर्थी वर्ग एवं चयन वर्गवार नियुक्ति हेतु आवंटित किये जाते हैं। अतः मण्डल आवंटन के समय अथवा वर्तमान में किसी मण्डल में रिक्त पद के आधार पर याचिकार्थी द्वारा पदस्थापन की मांग नहीं की जा सकती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be





claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही पदस्थापन किए जाते हैं। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर जोधपुर मण्डल के स्थान पर चूरु मण्डल आवंटित कर चूरु जिले में पदस्थापित करने की मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकार्थी द्वारा जोधपुर मण्डल के स्थान पर चूरु मण्डल आवंटित कर पदस्थापन हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 01.02.2021

क्रमांक:- शिविरा-मा./संस्था/एफ-2/को.के./जोध/12802/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु संभाग, चूरु
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
4. सहायक निदेशक (विधि) कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. याचिकार्थी नवीन कुमार पुत्र श्री मनसुख राम प्रजापत गांव-गुलपुरा, तहसील-राजगढ़, जिला-चूरु (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)